

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/903

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

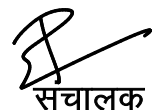
—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	2	श्रीमती गीता सोनी	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	बीर. आर. जे. शा. आदर्श उ. मा.वि. कन्या दुर्ग	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा

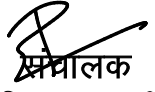
01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh ,एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।


संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / स्था.02 ई / सहा.जि.की.अ. / पदो. / 2025 / 904 नवा रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2025
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.) / सहा. जि. की. अधि. / कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


प्रधानाधिकारी
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/905

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	4	श्री विजय वर्मा	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	बी.आर.साव शा. ब.उ.मा.वि. मुंगेली	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली

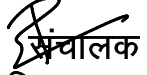
01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा।



संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/906 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/907

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	18	श्री प्रेम लाल पाण्डेय	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	शा.बहु.उ.मा.वि. क. 2 जांजगीर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा

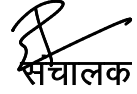
01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।



संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/908 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/909

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	22	श्री अनिल गौतम	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	स्वा.आ.उ.हि.मा. जे.आर.डी.वि. दुर्ग	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव

01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा।


संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/910 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/911

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	9	कु. शिरीन बानो खॉन	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	शा.म.ल.ब.क.उ. मा.वि. राजनांदगाव	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई

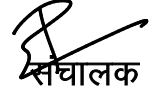
01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh ,एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / स्था.02 ई / सहा.जि.की.अ. / पदो. / 2025 / 912 नवा रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2025
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.) / सहा. जि. की. अधि. / कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/913

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	12	श्रीमती छाया प्रकाश राव	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	शा.उ.मा.वि. जोन-2 खुर्सीपार	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर

01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।


संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/914 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/915

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

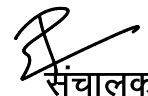
—:आदेश:-

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग में अनुपस्थित होने के कारण लॉटरी के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	13	श्रीमती उषा चटर्जी	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	शा.उ.मा.वि. कन्हारपुरी जिला राजनांदगांव	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी

01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh ,एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।


संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / स्था.02 ई / सहा.जि.की.अ. / पदो. / 2025 / 916 नवा रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2025
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.) / सहा. जि. की. अधि. / कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/917

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

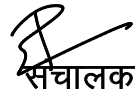
—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	15	श्रीमती शकीला देवदास	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	सेजेस उ.मा.वि. सेलूद जिला दुर्ग	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी

01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा।


संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/918 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.क्री.अ./पदो./2025/919

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.क्री.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.क्री.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	3	श्री संदीप कुमार शर्मा	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	शा.उ.मा.वि. सरोना जिला रायपुर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार भाटापारा

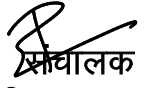
01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh ,एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / स्था.02 ई / सहा.जि.की.अ. / पदो. / 2025 / 920 नवा रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2025
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.) / सहा. जि. की. अधि. / कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/921

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

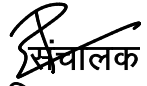
क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	5	श्री कमलेश कुमार यादव	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	शा.उ.मा.वि.गुल्लू आरंग जिला रायपुर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर

01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।

संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/922 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/923

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

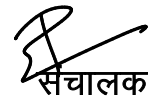
—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	6	श्री जीवन लाल नायक	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	शा.उ.मा.वि. केवड़ावाड़ी जिला रायगढ़	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़

01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।


संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/924 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/925

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

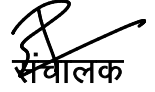
क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	10	श्री कौशल कुमार ठेठवार	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	पी.एम.श्री सेजेस उ.मा.शा. सारंगढ़	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़

01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।

संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/926 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.क्री.अ./पदो./2025/927

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—:आदेश:-

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.क्री.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.क्री.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग में अनुपस्थित होने के कारण लॉटरी के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	11	श्री अश्वनी चन्द्राकर	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	शा.उ.मा.वि. महली पंडरीया जिला कबीरधाम	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर

01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh ,एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा।

संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/928 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.क्री.अ./पदो./2025/929

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.क्री.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.क्री.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	14	श्री धनराज केमरो	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	शा.उ.मा.वि. बोरगांव जिला कोण्डागांव	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर

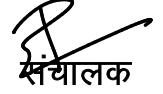
01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।



लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/930 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.क्री.अ./पदो./2025/931

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—:आदेश:—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.क्री.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.क्री.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग में कार्यालय/संस्था चयन से इंकार करने के कारण लॉटरी के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	16	श्री संजय शुक्ला	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	मा.सु.शा.क.उ.मा. वि. चौबे कालोनी रायपुर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर

01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh ,एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा।



लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/932 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/933

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

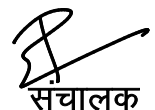
—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	20	श्री झसेन्द्र गबेल	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	साहेब कबीर शा.उ.मा.वि. कन्या पोता जिला सक्ती	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा

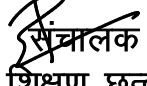
01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh ,एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगा।


संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / स्था.02 ई / सहा.जि.की.अ. / पदो. / 2025 / 934 नवा रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2025
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.) / सहा. जि. की. अधि. / कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/935

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

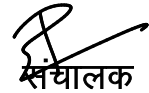
—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित कार्यालय/संस्था में वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	21	श्री संदीप गोविलकर	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	शा.उ.मा.वि. दलदल सिवनी जिला रायपुर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम

01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।


संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/936 नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025
प्रतिलिपि:—

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.)/सहा. जि. की. अधि./कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ईमेल— cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र./स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/937

नवा रायपुर, दिनांक 22/09/2025

—::आदेश::—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/स्था.2/सहा.जि.की.अ./पदोन्नति/2025/876 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/08/2025 के द्वारा व्यायाम शिक्षक (बी.पी.एड.)/सहायक कोच से कुल 22 व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी/कोच के पद पर पदोन्नत किया गया था। उक्त अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था.02 ई/सहा.जि.की.अ./पदो./2025/898 एवं 900 नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2025 पदस्थापना हेतु नियमावली निर्धारित की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निम्नानुसार पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को काउंसिलिंग नियमावली के कंडिका 01 अनुसार वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300, वेतन मैट्रिक्स लेवल - 9 में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी का नाम	पदोन्नत पद का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
1	2	3	4	5	6
1	19	श्री प्रमेन्द्र बहादुर सिंह	सहायक जिला क्रीडा अधिकारी	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज बलरामपुर	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रामानुजगंज बलरामपुर

01. पदोन्नत व्याख्याता (शा.शि.)/सहायक जिला क्रीडा अधिकारी को 07 दिवस के भीतर नवीन पदांकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh ,एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
03. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 8739/2025 एवं अन्य याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगा।

संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / स्था.02 ई / सहा.जि.की.अ. / पदो. / 2025 / 938 नवा रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2025
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
3. संबंधित संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छ.ग.।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
5. सहायक संचालक, एम.आई.एस. कक्ष (स्थानीय) को सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, क्रीडा (स्थानीय) को सूचनार्थ
7. प्राचार्य शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेण्ड्रा जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही।
8. सर्व पदोन्नत व्या. (शा.शि.) / सहा. जि. की. अधि. / कोच को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़